

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक ७/७३८, // आदेश //

जबलपुर, दिनांक २३/२/२०२६

दो-१४-६१/२०००

श्री सुनील वैद्य, EPABX Operator, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को Lumber Spondylitis होने के कारण दिनांक ०७.०७.२०२५ से १२.०७.२०२५ तक ६ दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक १३.०७.२०२५ से ०८.०८.२०२५ तक २७ दिन के लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार



(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ७/७३९, /  
दो-१४-६१/२०००

जबलपुर, दिनांक २३/२/२०२६

प्रतिलिपि :-

१. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म०प्र०) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक ७४/स्था. ग्वालियर, दिनांक ०७/१/२०२६ के संदर्भ में श्री सुनील वैद्य, EPABX Operator, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का आवेदन पत्र, निर्धारित प्रपत्र संलग्न सहपत्रों को वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

२. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
३. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(हर्ष सिंह बहरावत)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)